तारीख हुंक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बलवन्त बनाम कालू व अन्य राजस्व वाद संख्या 02/2019 (23/2022) अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
26.07.2022	पत्रावली पेश हुई। वादीगण अभिभाषक उपस्थित। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना/तामील के अनुपस्थित है। जिन्हे भिन्न-भिन्न समय मे तीन बार आवाजे दिलाई गई, किन्तु उपस्थित नही हुए। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2/4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। वादीगण अभिभाषक ने इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 13.09.2021 को पारित प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदार अजमेर के पत्रांक / तह / भू0अ0 /न्याया./2022/ 2110 दिनांक 16.03.2022 के द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वादीगण अभिभाषक को सुना गया। तहसीलदार अजमेर के द्वारा ग्राम सराना तहसील व जिला अजमेर के खसरा 1312 रकबा 1.0500 हैक्टयर के भिन्न-भिन्न रगों के मानचित्रमय जमाबन्दी मे दर्शित करते हुए बटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है बटवारा प्रस्ताव के अनुसार ग्राम सराना तहसील व जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा संख्या 1312 रकबा 1.0500 हैक्टयर भूमि मे से राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना कराते हुए उक्त खसरा संख्या 1312 को नक्शे मे गुलाबी (पिंक) कलर से दर्शित भूमि वादीगण बलवन्त व रणजीत पुत्रगण रामदयाल चौधरी ब0हि0ब0 1/2 हिस्सा सा0देह खातेदार व विवादित खसरा संख्या 1312 को नक्शे मे नारंगी रंग(ओरेंज) से दर्शित कर कालू पुत्र हीरा 1/4, रसाल पत्नि छीतर 1/16 रतन,रामजीलाल,बलबीर पुत्रगण छीतर हिस्सा 3/16 कुल 1/2 हिस्सा सा0देह खातेदार के विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये है। प्रतिवादीगण की ओर से असालतन व कालतन उक्त बटवारा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति दर्ज नही की गई है। अतः बटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर ग्राम सराना तहसील व जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा संख्या 1312 रकबा 1.0500 हैक्टयर भूमि मे से राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना कराते हुए उक्त खसरा संख्या 1312 को नक्शे मे गुलाबी (पिंक) कलर से दर्शित भूमि वादीगण बलवन्त व रणजीत पुत्रगण रामदयाल चौधरी ब0हि0ब0 1/2 हिस्सा सा0देह खातेदार व विवादित खसरा संख्या 1312 को नक्शे मे नारंगी रंग(ओरेंज) से दर्शित कर कालू पुत्र हीरा 1/4, रसाल पत्नि छीतर 1/16 रतन,रामजीलाल,बलबीर पुत्रगण छीतर हिस्सा 3/16 कुल 1/2 हिस्सा सा0देह खातेदार इसी अनुरूप वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हिस्से मे आई भूमि मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी व मदाखलत उत्पन्न नही करे। तहसीलदार अजमेर को आदेश दिये जाते है कि वे राजकीय हितो को ध्यान मे रखते हुए डिक्री की पालना राजस्व अभिलेख मे इन्द्राजात व तरमीम करावे तथा पृथक-पृथक खाते कायम कर भूमि के लगान कायम करे। निर्णय डिक्री की प्रति तहसीलदार अजमेर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर अजमेर	